सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272202

उ०प्र०(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा शासन के पत्र सं0–1503/सत्तर–3–2021 दिनांक 15 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन–जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 के मध्य भू–जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उक्त के क्रम में कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2021 में सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 के मध्य भू–जल सप्ताह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में प्रभावी ढ़ंग से सम्पन्न कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यो से अनुरोध है कि संलग्न उक्त पत्र के आलोक में कृपया अपने स्तर से अपने महाविद्यालय में कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन–जागरूकता हेतु कार्ययोजना तैयार कर दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 के मध्य भू–जल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढ़ंग से सम्पन्न कराते हुए कार्यक्रम की छायाप्रति भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(राकेश कुमार)
कुलसचिव

पत्रांक 2001 /कु0का0/सि0वि0वि0/2021 दिनांक 16/07/2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय,सम्बद्ध सिद्धार्थ वि0वि0, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सहायक कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1503/सत्तर–3–2021

प्रेषक,

हरेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2021**

विषयः–प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 तक **"भू–जल सप्ताह"** का आयोजन किया जाना है।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–76–3099/40/2021–3, दिनांक 30.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन–जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य भू–जल सप्ताह का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या–732/62–1–2012–830/98, 05.06.2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भू–जल जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये हैं तथा प्रत्यके वर्ष दिये जाते रहे हैं।

अतः कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2021 में संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में 16 से 22 जुलाई के मध्य भू–जल सप्ताह का प्रभावी ढ़ंग से आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव। 2

श्री रामनिवासजी
15/7/21

संख्या–1503 /सत्तर-3-2021

File No.76-3099/40/2021-3-

संख्या– /76–3–2021–830/98
1333/VSHE/AS/2021
USC(N) SO-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

08.07.2021

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक, 30 जून, 2021

237/PSHE/21
सचिव

विषय: प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनसंख्या वृद्धि एवम् औद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक सेक्टर्स में भूजल पर निरन्तर बढ़ती निर्भरता से भी अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिसके कारण यह सीमित संसाधन, उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से गंभीर स्थिति में पहुँचता जा रहा है। भूजल संसाधन आंकलन–2017 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 82 विकासखण्ड अतिदोहित, 47 विकासखण्ड क्रिटिकल एवं 151 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं। वर्ष 2000 में अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या मात्र 20 थी, जो लगभग सात गुना बढ़कर वर्तमान आंकलन में 129 पहुँच चुकी है।

सुभाष चन्द्र शर्मा
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
पं० सं०520/एसएचई/2021
दिनांक 07/07/2021
V.S(AS)

2– प्रदेश में भूजल के समेकित प्रबन्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है, जिससे प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में 02 अक्टूबर–2019 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद के द्वारा जनपद में भूजल के प्रबन्धन तथा नियमन हेतु समुचित प्रयास किए जाने है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के समुचित एवम् समयबद्ध निष्पादन हेतु एक आन–लाइन वेब–पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण भी प्राथमिकता के आधार पर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद के द्वारा किया जाना है।

शमीम अहमद खान
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

8/7/21

3– जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल संसाधन के महत्व के प्रति जन–जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या–732/62–1–2012–830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए है तथा प्रत्येक वर्ष दिए जाते रहे है। कोविड–19 के दृष्टिगत वर्ष 2021 में भूजल सप्ताह के आयोजन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

(1) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(2) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवम् अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल–कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(3) शहरी क्षेत्रों में आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार–प्रसार एवम् जन जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगें।

(4) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथासम्भव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी कोविड–19 के दृष्टिगत इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये तथा इस आयोजन को प्रभावी ढंग से सफल बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाए।

4– जैसा कि आप अवगत है कि दिनांक 22–03–2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष जल संचयन अभियान की शुरूआत जल शक्ति अभियान की थीम"Catch the Rain, where it falls, when it falls" के साथ की गयी है, जिसमें विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जल संचयन से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, जिलाधिकारियों एवम् ग्राम पंचायतों के सरपंच को सम्बोधित भी किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के आगमन से पूर्व जल संचयन से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाओं यथा चेकडैम, तालाब, कुएँ, इत्यादि का निर्माण/पुनरोद्धार किया जाना है, जिससे कि वर्षा की प्रत्येक बूँद का अधिकाधिक संचयन किया जा सके।

5– इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अन्य सम्बन्धित विभागों यथा–कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।

6– इस वर्ष का मुख्य विचार बिन्दु "जल संरक्षण है एक संकल्प, नही है इसका कोई विकल्प" रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

7– विश्व स्वास्थ संगठन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित किया गया है। कोविड–19 की संक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। अतएव भूजल सप्ताह की अवधि में समस्त गतिविधियों का संचालन उक्त दिशा–निदेशों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 16 से 22 जुलाई के मध्य 'भूजल सप्ताह' का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

Digitally signed by राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date: Thu Jun 24 15:50:25 IST 20
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या– (1)/76–3–2021/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, समस्त नगर निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव